कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, पिलखुआ
पिलर न0–131, एन.एच.–09, पिलखुआ (हापुड़)

पत्रांक संख्या 6796 /वि.वि.ख.पिल0 /टी0सी0 दिनांक 19/12/22

विषय :– मै0 नमह कूल होम एप्लाईनसेस पार्टनर श्री मोहित सिंघल, ख0नं0–564 (0.2580 हेक्टेयर) लाखन रिलायंस रोड जिन्दल नगर विद्युत भार 500 केवीए औधोगिक संयोजन हेतु टीसी की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

मै0 नमह कूल होम एप्लाईनसेस पार्टनर श्री मोहित सिंघल,
ख0नं0–564 (0.2580 हेक्टेयर) लाखन रिलायंस रोड जिन्दल नगर।

आवेदन संख्या–1010124821

आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा विद्युत भार 500 केवीए औधोगिक संयोजन हेतु आवेदन किया गया था।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप टी0सी0 की निम्नलिखित धनराशि ऑनलाईन 90 दिन के अन्दर ऑनलाईन झटपट/निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से जमा करा दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक नहीं है और आपकी स्वीकृति नियमानुसार रदद् कर दी जायेगी।

देय धनराशि का विवरण	प्रति किवा/केवीए	वांछित धनराशि	पूर्व में जमा जमानत राशि	भुगतान का विवरण
जमानत राशि	2200/केवीए	1100000.00		**टी0सी0 का भुगतान ऑनलाईन निवेश मित्र/झटपट पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा।**
प्राक्कलन राशि		242754.00		
योग		**1342754.00**		
जी0एस0टी0 धनराशि		43017.00		
कुल योग		**1385771.00**		

अतः टी0सी0 की कुल धनराशि अंकन रू0 **1385771.00** का भुगतान करने का कष्ट करें।

आवश्यक निर्देश व शर्तेः–

1. प्रथम श्रेणी की ठेकेदार द्वारा प्रमाणित बी0एण्ड एल0 फार्म प्रस्तुत करें।
2. उपरोक्त मांग पत्र की पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात आवेदनकर्ता विद्युत संयोजन के अनुबन्ध हेतु उपभोक्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रू0 100.00 के जूडिशियल स्टाम्प पेपर, रू0 1.00 का रसीदी टिकट एवं 03 फोटो के साथ–साथ 2 गवाह फोटोयुक्त आई0डी0 सहित खण्ड कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अनुबन्ध सम्पादित करें।
3. अनुबन्ध समपादित करने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत करने की शेष कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।
4. पहले से जमा जमानत राशि की रसीद समायोजन हेतु साथ लायें।
5. शंट कैपिस्टर वाछिंत स्वीकृत लोड के अनुसार लगाना आवश्यक है तथा कैपिस्टर बिल की कॉपी प्रस्तुत करें।
6. कृप्या निवेश–मित्र पोर्टल पर आवेदन कर विद्युत सुरक्षा निदेशालय से विद्युत भार/परिवर्तक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
7. ऑनलाईन आवेदन करते समय अपलोड किये गये आंशिक प्रपत्र (परिसर की रजिस्ट्री/रेन्ट एग्रीमेन्ट, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का प्रमाण–पत्र, बी0 एण्ड एल0 फार्म की मूल प्रति, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं जी0एस0टी0 सर्टीफिकेट आदि अनुबन्ध करते समय खण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगे।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के आदेश संख्या 697 दिनांक 30.06.2015 के आदेशानुसार एल0टी0 उपभोक्ताओं एवं 11 केवी विभव पर संयोजन के लाईन कार्य पूर्ण होने के पश्चात विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत विद्युत सुरक्षा प्रमाण–पत्र उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर संयोजन अवमुक्त किया जायेगा।
9. एल0टी0/11 केवी विभव पर संयोजन विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 के बिन्दु 5.1 (ए) एवं 5.3 (सी) के प्रावधान अनुसार उपभोक्ता को अपने परिसर पर उचित क्षमता की एम0सी0वी0 अथवा सर्किट ब्रेकर स्थापित कराये जाने पर संयोजन अवमुक्त किया जायेगा।
10. लाईन बनाने में ROW के कारण होने वाले किसी भी वाद–विवाद व हाईवे/रेलवे/सिंचाई/वन विभाग आदि की भूमि पर लाईन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी।
11. पोषक से टेपिंग के समय यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समस्त उत्तरादायित्व आवेदनकर्ता का होगा एवं तदानुसार संशोधित प्राक्कलन बनाया जायेगा व संशोधित प्राक्कलन की धनराशि का भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा किया जायेगा।
12. उपरोक्त विद्युत उपकेन्द्र अतिभारित होने की स्थिति में सेरिटंग की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner